



2026:AHC:126870

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 23131 वर्ष 2026

जान ए आलम..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य..... प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अस्तित्व श्रीवास्तव, पंकज कुमार श्रीवास्तव, सस्मिता श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता, पवन कुमार

न्यायालय सं - 38

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

1. प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा पारित दिनांक 19.05.2026 के आदेश को आक्षेपित किया गया है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता, जो ग्राम प्रधान है, की वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति को जब्त कर लिया गया है, को प्रस्तुत रिट याचिका में चुनौती दी गई है।
2. यह तर्क दिया जाता है कि उपरोक्त आदेश पारित करने से पहले, 21.01.2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका एक विस्तृत उत्तर याचिकाकर्ता द्वारा 24.02.2026 को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत/प्रतिपक्षी संख्या-3 द्वारा इसे खारिज करते समय इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।
3. पक्षों के अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
4. अभिलेखों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने रिट सी संख्या-9391 वर्ष 2020 (सुमित्रा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य)में पारित दिनांक 12.06.2020 के एक आदेश पर भरोसा किया। दिनांक 12.06.2020 का आदेश इस प्रकार है: -

"1. याचिकाकर्ता मिर्जापुर जिले के लालगंज तहसील के गांव ऊंटी, पोस्ट पंवारी कलां, के निर्वाचित प्रधान हैं, और जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर द्वारा दिनांक 31.3.2020 को पारित एक आदेश से व्यथित हैं। इस आदेश द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 95(1)(जी) के तहत याचिकाकर्ता की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को जब्त कर लिया गया है और उत्तर प्रदेश पंचायती राज (प्रधान, उप-प्रधान और सदस्यों को हटाना) जांच नियम, 1997 के नियम 5 के तहत वित्तीय मामलों की देखभाल के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन करते हुए नियमित जांच शुरू की गई है। यह आदेश मुख्य रूप से इस आधार पर किया जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट ने प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों की समाप्ति को उचित ठहराने वाली सामग्रियों के अस्तित्व के संबंध में कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की है। **शमीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2018) 4 यूपीएलबीईसी 2573** के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया जाता है।

2. अभिलेखों के अवलोकन से पता चलेगा कि प्रतिपक्षी शिकायतकर्ता ने निर्वाचित प्रधान के खिलाफ कुछ आरोप लगाए थे और इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद एक रिट याचिका संख्या-2098 वर्ष 2019 दायर की गई थी, जिसे दिनांक 24.1.2019 के निम्नलिखित आदेशों के तहत निपटाया गया था: -

"याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य प्रतिपक्षियों की ओर से पेश स्थायी अधिवक्ता आलोक शर्मा की ओर से सुनवाई की।

प्रस्तुत याचिका दायर की गई है जिसमें प्रतिपक्षी अधिकारियों को निजी प्रतिपक्षी संख्या-5 के खिलाफ याचिकाकर्ता की शिकायत पर जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है।



याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की याचिका प्रस्तुत करने के लिए अनुलग्नक-1 की ओर ध्यान आकर्षित करना यह है कि पहले की शिकायत का निस्तारण केवल ग्राम प्रधान के संचार के आधार पर किया गया था, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत में किसी भी प्रकार की जांच के रूप में नहीं माना जा सकता है।

याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता है और उसने अपने हलफनामे के अनुसार निर्वाचित ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

इस मामले को देखते हुए, प्रस्तुत याचिका का निस्तारणप्रतिपक्षी संख्या-2-जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता की शिकायत पर उसके समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय ले, बशर्ते कि शिकायत नियमों के अनुसार हो।

3. यह कहा गया है कि एक जांच की गई थी जिसमें सभी आरोप गलत पाए गए और कार्यवाही को हटा दिया गया। इसके बाद एक नई प्रारंभिक जांच की गई है जिसमें विभिन्न मामलों में आरोप सिद्ध पाए गए हैं। 8.1.2020 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका याचिकाकर्ता द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद यह आदेश पारित किया गया है जो याचिकाकर्ता द्वारा 27.1.2020 को जवाब प्रस्तुत करने को संदर्भित करता है। याचिकाकर्ता के जवाब को खारिज करने/खारिज करने के आदेश में दिए गए एकमात्र कारण यह है कि याचिकाकर्ता का बचाव बिना किसी तथ्य के और बिना किसी सबूत के है। तदनुसार एक हस्तक्षेप किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने वित्तीय गबन किया है।

4. प्रधान की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने का तरीका क्या होगा, यह प्रश्न हाफिज अताउल्लाह अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2011 (2) यूपीएलबीईसी 889में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष विचारार्थ आया। शमीम (उपरोक्त) के मामले में बाद की पूर्ण पीठ ने अधिनियम वर्ष 1947 की धारा 95(1)(जी) के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के प्रयोजनों के लिए पिछले सभी निर्णयों और जिला मजिस्ट्रेट



की शक्तियों की जांच की है। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों पर पूर्ण पीठ ने गौर किया है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं को अब संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पूर्ण पीठ के समक्ष विचार के लिए प्रश्न निर्णय के प्रस्तर-23 में देखा गया है, जिसे इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"23. विधायी इतिहास और एक निर्वाचित प्रधान की स्थिति की पृष्ठभूमि में, संविधान संशोधन के बाद, प्राथमिक मुद्दा यह है कि क्या पंचायती राज अधिनियम की धारा 95(1)(जी) के प्रावधान के तहत राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति विशुद्ध रूप से प्रशासनिक है या अर्ध-न्यायिक है। दूसरे शब्दों में, क्या राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट धारा 95(1)(जी) के प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एक न्यायाधिकरण है।

संदर्भ का उत्तर देते हुए, पूर्ण पीठ ने शमीम (उपरोक्त) में निर्णय के प्रस्तर-37 में निम्नानुसार देखा: -

"37. विवेकानंद, हाफिज अताउल्लाह अंसारी और उसके बाद पारस जैन में दोहराया गया कि निर्वाचित प्रतिनिधि को प्रारंभिक जांच में लौटाए गए निष्कर्षों पर आपत्ति उठाने का अवसर दिया जाना चाहिए और वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति और कार्यों को समाप्त करने का आदेश पारित करने से पहले राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम दृष्टया उसकी आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। धारा 95(1)(जी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित आदेश का परिणाम गंभीर परिणाम है क्योंकि यह निर्वाचित प्रतिनिधि को अंतिम जांच में दोषमुक्त होने तक शक्ति का प्रयोग करने से वंचित करता है और राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होता है। राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय राज्य की किसी समीचीनता या नीति पर आधारित नहीं है, बल्कि यह राज्य सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कारण बताओ नोटिस के साथ सामना करने के बाद अंतर्निहित न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने वाली राज्य सरकार को प्रदत्त एक सांविधिक शक्ति है, जिसके बाद निर्वाचित प्रधान की आपत्तियों पर उचित विचार करने पर निर्णय लिया जाता है। एक बार ऐसा आदेश पारित हो जाने के बाद, राज्य सरकार के लिए अंतिम दौरान ए विवेचना आदेश की समीक्षा या संशोधन करने का अधिकार नहीं है।



इसलिए, आदेश अंततः प्रधान और प्राधिकरण (राज्य सरकार) के बीच के मुद्दे पर निर्णय लेता है, जहां तक यह वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग से संबंधित है। स्थानीय निकाय का कार्यालय संवैधानिक लोकतांत्रिक संस्था का एक निर्वाचित कार्यालय है; निर्वाचित प्रमुख सरकारी कर्मचारी नहीं है और इन कार्यवाहियों की तुलना सेवा न्यायशास्त्र में विभागीय कार्यवाही से करना अनुचित होगा। एक स्थानीय निकाय का प्रमुख एक सीमित अवधि के लिए चुना जाता है। यदि निष्कासन की कार्यवाही के दौरान, उसे वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने से वंचित कर दिया जाता है, तो भले ही उसे जांच में दोषमुक्त कर दिया जाता है, दौरान ए विवेचना बिताया गया समय नष्ट हो जाता है, तो उसे अपनी अवधि नहीं बढ़ाई जाती है। अदालत के सभी या कुछ फंदों की उपस्थिति के बारे में विचार वास्तव में निर्णायक नहीं है। मुख्य और बुनियादी परीक्षण यह है कि क्या निर्णायक शक्ति जिसका प्रयोग करने के लिए किसी विशेष प्राधिकरण को अधिकार दिया गया है, उसे एक कानून द्वारा प्रदान किया गया है और इसे अपने न्यायिक कार्य के निर्वहन में प्रयोग की जाने वाली राज्य की अंतर्निहित शक्ति के हिस्से के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस परीक्षण को लागू करने में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि धारा 95(1)(जी) के प्रावधान के तहत राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट जिस शक्ति का प्रयोग करता है, वह एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली अर्ध-न्यायिक शक्ति है।

5. चूंकि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति प्रकृति में अर्ध न्यायिक है और निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए इसके गंभीर परिणाम हैं, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि जिला मजिस्ट्रेट लगाए गए आरोपों की प्रकृति पर अपना दिमाग लगाएंगे और प्रारंभिक जांच में एकत्र की गई सामग्री के अस्तित्व के संबंध में प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज करेंगे। जिसके लिए नियमित जांच करना आवश्यक है और प्रधान की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को जब्त करने को न्यायोचित ठहराया गया है। इसलिए, जिला मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वह आरोपों की प्रकृति के साथ-साथ निर्वाचित प्रधान द्वारा स्थापित बचाव की भी जांच करें अन्यथा कारण बताओ नोटिस जारी करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। कानून अन्यथा स्थापित है कि कारण एक आदेश की आत्मा है और जो विचार आदेश पारित करने में प्रबल हुए हैं, उन्हें आदेश से



ही परिलक्षित किया जाना चाहिए। केवल यह कहना कि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है, पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में इस न्यायालय ने पाया कि जिला मजिस्ट्रेट का आदेश प्रासंगिक मापदंडों पर लंबित है, उपरोक्त सूचना, और इसलिए आक्षेपित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

6. स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि मामले को लंबित रखने के बजाय यह उचित होगा कि संबंधित प्राधिकारी को इस मुद्दे पर फिर से विचार करने की अनुमति दी जाए।

7. इस मामले को देखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट के दिनांक 31.3.2020 के आदेश को रद्द करना और याचिकाकर्ता के जवाब पर निष्पक्ष रूप से विचार करने और प्रारंभिक जांच में एकत्र की गई सामग्री के साथ-साथ उस संबंध में याचिकाकर्ता के बचाव को दर्शाते हुए एक नया आदेश पारित करने के लिए मामले को जिला मजिस्ट्रेट को भेजना उचित होगा।

8. तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

6. इस मामले को देखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत/प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा पारित दिनांक 19.05.2026 के आदेश को रद्द करना उचित होगा, और याचिकाकर्ता के जवाब पर निष्पक्ष रूप से विचार करने और प्रारंभिक जांच में एकत्र की गई सामग्री के साथ-साथ उस संबंध में याचिकाकर्ता के बचाव के लिए एक नया आदेश पारित करने के लिए मामला जिला मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा।

7. तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया)

11 जून 2026 / स्वाति